104

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–541–दो/06 विरुद्ध आदेश दिनांक 23.12.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 781/अ–3/2001–02

श्रीमती राधाबाई पत्नि बहोरीलाल लोदी
निवासी टेड़ी धार तहसील पवई
जिला पन्ना (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

संतोष सिंह पुत्र नत्थू सिंह राजपूत
निवासी टेड़ी धार तहसील पवई
जिला पन्ना (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी

आदेश

(आज दिनांक 16/1/18 **को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 781/अ–3/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2005 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा– 89, 104, 115, 116 के तहत एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार अमानगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 12.03.2001 पारित करते हुए आवेदक के लिए नक्शा संशोधित किए जाने का आदेश दिया। जिसके विरुद्ध आवेदिका राधाबाई द्वारा कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत

की जिसमें उन्होंने दिनांक 26.08.02 को आदेश पारित करते हुए नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया एवं निगरानी स्वीकार की। अनावेदक द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 23.12.05 द्वारा स्वीकार की गई एवं कलेक्टर पन्ना का आदेश निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 12.03.01 स्थिर रखे जाने के आदेश दिए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन–पत्र वास्ते तरमीम किए जाने का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसका कुछ भाग आवेदिका के नाम चढ़ गया है जिसे दुरुस्त किया जावे, जो प्रकरण क. 2 व 3 वर्ष 1999–2000 पर दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जांच करायी जाकर जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक का आवेदन दिनांक 21.11.2000 को निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध कोई निगरानी या अपील अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि तहसीलदार द्वारा बिना किसी अधिकार के अनावेदक के हक में वर्ष 1996 में पट्टा दिया है जो स्वमेव आधारहीन है और इसके अतिरिक्त भी अनावेदक का आवेदन 21.11.2000 को तरमीम किए जाने का आवेदन निरस्त किया जा चुका है ओर उसी आशय का आवेदन पुनः ग्रहण कर 12.03.2001 को बिना किसी आधार के स्वीकार कर लिया गया है जबकि न्यायदृष्टांत 1970 आर.एन. 333 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं 1984 आर.एन. 22 में सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा यह मान्य किया गया है कि पूर्व आदेश को अगर अपील रिवीजन में चैलेंज नहीं किया गया है तो वह आदेश अंतिम माना जाता है तथा रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के अनुसार ही पुनः अथवा दूसरी बार प्रस्तुत आवेदन को पोषणीय नहीं माना जाता है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 89 में भी यह प्रावधान है कि किसी सर्वेक्षण संख्या या खाते की क्षेत्रफल की गलती को सुधार का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है न कि तहसीलदार को है।

उपरोक्त प्रावधान के उपरांत भी तहसीलदार द्वारा तरमीम के आदेश दिनांक 12.03.2001 को पारित किए हैं जिसकी पुष्टि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा की गई है जो कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य है।

4. अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.12.2017 को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु 7 दिवस का समय चाहा गया था, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

5. आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है। उन्होंने यह पाया है कि प्रकरण तरमीम का है और विचारण न्यायालय में नक्शा तरमीम की कार्यवाही विधिवत की गई है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में न्यायदृष्टांत 1997 आर0एन0 189 का उल्लेख करते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह उचित है। चूंकि कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण के तथ्यों से अलग हटकर आदेश पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने उनके आदेश को निरस्त करने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं न्यायिक प्रतीत होता है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर